राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 7(2)राज/वाद/18, पार्ट–2 जयपुर, दिनांक 30.04.2025

:: आदेश ::

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु. –3/2022–Sports जयपुर दिनांक 24.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम 2020) के अधीन चयनित खिलाड़ियों में से इस विभाग को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को उक्त नियम के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14,600/– रूपये प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् परिवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर पे–मैट्रिक्स के लेवल L-5 में अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर, इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग के अधीन कार्यालय में एतद्द्वारा किया जाता है:–

क0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	खेल	पदक	कार्यालय का नाम
1.	श्री गुरप्रीत सिंह	श्री कश्मीर सिंह	सामान्य	वुशू	स्वर्ण	अपर लोक अभियोजक (आवश्यक वस्तु अधिनियम), जयपुर महानगर द्वितीय
2.	श्री तोसिफ हसन	श्री अब्दुल रहमान	ओबीसी	वुशू	कांस्य	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, कोटा

1. उक्त खिलाडियों/अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान सेवा नियम, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 एवं राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम, 2020) के प्रावधानों के अनुरूप रहेगी।
2. राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(6) एवं कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(3)कार्मिक/क–2/2013 पार्ट जयपुर दिनांक 12.06.2024 के अनुसार उक्त खिलाड़ियों/अभ्यर्थियों द्वारा वांछित शैक्षणिक अर्हता एवं वृत्तिक अर्हताओं को पूर्ण करने के साथ ही **02 वर्ष** का परिवीक्षाकाल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त इनका नियमितिकरण कर नियमानुसार वेतन श्रृंखला एवं वेतन वृद्धियां देय होगी एवं उक्त खिलाडियों/अभ्यर्थियों द्वारा 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया जाता है तथा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता या वांछित वृत्तिक अर्हता या दोनों ही पूर्ण नहीं की जाती है तो इनका वेतन निर्धारण किया जाकर वार्षिक वेतन वृद्धियां नियमानुसार देय होगी परन्तु इन खिलाडियों/अभ्यर्थियों को पद से संबंधित निर्धारित अर्हताओं एवं वांछित वृत्तिक अर्हताओं (Professional Qualification) को **पाँच वर्ष** की निर्धारित कालावधि में नियमानुसार पूर्ण किया जाना होगा, जिसमें विफल रहने पर इनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6) एफ.डी./रूल्स/05 दिनांक 13.03.06, एफ 6(6)एफडी/रूल्स/2005

30/04/2025

दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ. 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 में वर्णित शर्तों के अनुरूप रहेगी।

4. वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 15(1)एफडी/रूल्स/2017, दिनांक 30.10.17 एवं 09.12.17 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनरेशन) देय होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्य न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
5. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र क. प.15(01)/कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगे।
7. परिवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नही होंगे।
8. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
9. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो, उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
10. आदेश जारी होने की दिनांक से 15 के अन्दर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश उक्त समयावधि में कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करना होगा। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।
11. यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
12. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी।
15. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

16. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गयी समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण–पत्र सत्य हैं। यदि किसी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज/सूचना, असत्य/फर्जी पाये जाने पर राज्य सरकार/विभाग इनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर सकेगी।
17. उक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रीड़ा पदक विजेताओं को बिना पारी नियुक्ति नियम, 2017(संशोधित नियम, 2020) के नियम 3(10) के अनुसार निर्धारित की गई है। इन चयनित खिलाड़ियों/अभ्यर्थियों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन इनके खेलों में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किया जायेगा।
18. इनका चयन वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध किया गया है। अतः विभागीय स्तर पर इनकी वरिष्ठता निर्धारण का क्रम नियमानुसार (पदोन्नति/सीधी भर्ती/खिलाड़ी कोटा) होगा।
19. वर्ष 2023–24 में रिक्तियों के नहीं होने की स्थिति में नियम 3(5) के अनुसार के Deemed Creation आधार पर नियुक्ति दी जावेगी।
20. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि वही है, जो इन्होने आवेदन पत्रों में अंकित की है।
21. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि(वादकरण)।
3. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.1(2)प्र.सु./अनु.–3/2022–Sports जयपुर दिनांक 24.03.2025 के क्रम में।
4. संबंधित जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार सक्षम अधिकारी, किसी राजकीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित खिलाडी/अभ्यर्थी को कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य ग्रहण करवाकर संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर, इस विभाग को अवगत करावें साथ ही लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सम्यावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना तत्काल इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
5. संबंधित लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजक को प्रेषित कर लेख है कि खिलाडी/अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यग्रहण किये जाने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में सूचना संबंधित जिला कलक्टर को तत्काल प्रेषित करते हुये, इस विभाग को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. संबंधित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
7. संबंधित कोषाधिकारी।
8. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम,वादकरण।
9. संबंधित खिलाडी/अभ्यर्थी **श्री गुरूप्रीत सिंह** पुत्र श्री कश्मीर सिंह, माउण्ट रोड 61/224, फतेहराम का टीबा, ब्रह्मपुरी, जिला जयपुर एवं **श्री तोसिफ हसन** पुत्र श्री अब्दुल रहमान ब्लॉक 176, ग्रामीण पुलिस लाईन, बोरखेड़ा, कोटा।
10. ए.सी.पी., विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, विधि